


KENDRIYA VIDYALAYA: NEWSLINE

राजीव माथुर : नए मुख्य सूचना आयुक्त



May 22, 2014 आईबी के पूर्व प्रमुख राजीव माथुर ने आज केंद्रीय सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई.

64 वर्षीय माथुर छोटे मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर सुषमा सिंह की जगह लेंगे, जिन्होंने कल पद छोड़ा. निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की थी. माथुर ने कहा कि मेरी प्राथमिकता अपीलें और शिकायतों के बोझ को कम करना और आरटीआई के साधनों को मजबूत करना होगा. उन्होंने कहा कि सीआईसी में फिलहाल करीब 14,000 अपीलें और शिकायतें लंबित हैं. उनका कार्यकाल 23 अगस्त तक होगा, जब वह 65 वर्ष के हो जाएंगे. नियमों के अनुसार सीआईसी की नियुक्ति या तो अधिकतम पांच साल के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की जाती है. उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी माथुर 31 दिसंबर,



2008 से दो साल के लिए आईबी के निदेशक रहे. उन्हें भारतीय पुलिस पदक से और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है.

माथुर देश के छठे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वह इस साल 23 अगस्त तक सीआइसी के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी थी। सीआइसी का पद संभालने के बाद माथुर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लगभग 14 हजार लंबित आवेदनों और शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करना है।

उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर आइपीएस अफसर माथुर ने 31 दिसंबर, 2008 को आइबी प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला था। दो साल के कार्यकाल के दौरान आइबी में खुफिया जानकारी जुटाने और काम करने की शैली में महत्वपूर्ण बदलावों का श्रेय उन्हीं को जाता है। पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक के अलावा विशिष्ट सेवा के लिए माथुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह मार्च, 2012 में सीआइसी में बतौर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। सुषमा सिंह के अलावा दीपक संधू, सत्यानंद मिश्रा, एन तिवारी और वजाहत हबीबुल्ला देश के मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं।